रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235322
CG-DL-E-22042022-235322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944
No. 296]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 310(अ).—वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण), नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के अधीन अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.11 (अ) तारीख 11 जनवरी 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 जनवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) (संशोधन) नियम, 2022 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 10 के, उप-नियम (1) में, –

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अन्वेषण के लिए सुसंगत किसी गवाह को बुलाना और परीक्षण करना और ऐसे गवाह से जानकारी या साक्ष्य या किसी जांच के उत्तर या विवरणियां प्रस्तुत या पेश करने की अपेक्षा करना, जो वह उचित समझे;"

(ii) उपखंड (ख) में "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "गवाह" शब्द रखा जाएगा।

4. मूल नियमों के, नियम 18 और 19 का लोप किया जाएगा।

[फ़ा. सं. एवी-11012/3/2019-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1011(अ) तारीख 7 अगस्त 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 222 (अ), तारीख 30 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित करके, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 30 मार्च, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2022

G.S.R. 310(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, was published as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 11(E), dated the 11th January 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 11th January 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, namely: —

1. These rules may be called the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) (Amendment) Rules, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principle rules) in rule 10, in sub-rule (1), —

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) to call and examine any witness relevant to the investigation, and to require such witness to furnish or produce information or evidence or to answer or returns to any inquiries he thinks fit to make;";

(ii) in clause (b), for the word "person", the word "witness" shall be substituted.

4. In the principle rules, rule 18 and 19 shall be omitted.

[F. No. AV-11012/3/2019-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 1011(E) dated 7th August 2017 and last amended vide G.S.R. 222(E), dated the 30th March, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA